भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 20 /2023
दिनांकः 20 जुलाई, 2023

विषयः एचएस कोड 1006 30 90 के तहत गैर–बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची–2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 1006 30 90 के तहत गैर–बासमती चावल की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है;

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
1006 30 90	गैर–बासमती सफेद चावल (सेमी–मिल्ड हुआ या संपूर्ण रुप से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ या चमकीला हो या न होः अन्य)	मुक्त	निशिद्ध

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान गैर–बासमती चावल के निर्यात के लिए इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे। गैर–बासमती चावल की खेपों को निम्नलिखित भार्तो के अधीन निर्यात किए जाने की अनुमति होगीः

i. जहां गैर बासमती चावल को पोत पर लादने का कार्य इस अधिसूचना के पहले भुारु हो गया है;

ii. जहां इस अधिसूचना से पहले शिपिंग बिल फाइल कर दिया गया है और भारतीय पत्तनों पर पोत की बर्थिंग हो चुकी है या वह पहुंच चुका है और लंगर डाल चुका है और उनका रोटेशन नम्बर आवंटित किया जा चुका है, ऐसे पोतो में लदान का अनुमोदन इस अधिसूचना से पहले गैर बासमती चावल के लदान के लिए पोत के लंगर डालने/बर्थिंग के संबंध में संबंधित पत्तन प्राधिकारियों द्वारा पुश्टि के बाद ही जारी किया जाएगा।

iii. जहां गैर बासमती चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है/जहां गैर–बासमती चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले निर्यात हेतु सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है और 20.07.2023 से पहले इन वस्तुओं की सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ सीमा शुल्क स्टेशन के अभिरक्षक संबंधित की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि 31.08.2023 तक होगी।

iv. अन्य देशों को निर्यात उनकी खाद्य सुरक्षा को पूरा करने और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने के आधार पर अनुमत होगा।

3. जैविक गैर–बासमती चावल का निर्यात दिनांक 29 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 45/2015–2020 के साथ पठित दिनांक 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 03/2015/2020 के अनुसार अभिशासित होगा।

सं. सारंगी

4. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

एचएस कोड 1006 30 90 के तहत गैर–बासमती सफेद चावल (सेमी–मिल्ड या संपूर्ण रुप से मिल्ड, चाहे पॉलिश किया हुआ या चमकीला हो या नही होः अन्य) की निर्यात नीति 'मुक्त' से संशोधित करके 'निशिद्ध' की गई है।

संतोष कुमार सारंगी
20.7.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/010/एएम–23ईसी/ई–33294 से जारी)